

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
90/2023

दायर दिनांक  
27.02.2023

निर्णय दिनांक  
27.07.2023

अनवान

1. गणेश पुत्र रामा जाति रेगर निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा- राज0  
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गरिमा पत्नी अरुण चौहान जाति भोली निवासी शारत्रीनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पुत्र गोमा जाति जाट,
3. माधूलाल पुत्र सोनाथ जाति जाट,
4. रतनी पुत्री सोनाथ जाति जाट,
5. सोनाथ पुत्र गोमा जाति जाट,
6. जमना लाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट,  
निवासीगण भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपरिस्थिति :- अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन प्रार्थी  
एक तरफा अप्रार्थीगण

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा के नये खाता संख्या 81 की अभिलिखित आराजी संख्या 1610 रकबा 1.0622 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं, जिसमें अप्रार्थीगण पड़ोसी काश्तकार हाकर खातेदार हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य सीमा चिह्न कायम नहीं होने के कारण सीमा बाबत विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर-बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, भूअ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा के नये खाता संख्या 81 की अभिलिखित आराजी संख्या 1610 रकबा 1.0622 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहसीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( विनोद कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा